



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in

ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-20-परीक्षा/2026

महाधिवक्ता कार्यालय (कम्प्यूटर संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/20

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	03-09-2026
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	07-09-2026
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	28-09-2026
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	05-10-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28-09-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 28-09-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 05-10-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-20-परीक्षा/2026, महाधिवक्ता कार्यालय (कम्प्यूटर संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/20 के अंतर्गत महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए एवं सहायक कम्प्यूटर के कुल रिक्त 12 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

महाधिवक्ता कार्यालय (कम्प्यूटर संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/20 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती

21 जून 2026

[Signature]

[Signature]

है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (28-09-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।

2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 28-09-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 10.15 का अवलोकन करें)।

2.5 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव पदों आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

2/5/2021  

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2.8 आवेदन(Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षेत्रीय आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।
नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात “सबमिट” बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात “अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र” प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत

21/05/2024

हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर Save and Submit बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

नोट:- अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का भली-भांति पुनः परीक्षण कर सही पाये जाने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II. कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं Verify Transaction ID बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III. शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर Payment Acknowledgment Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV. यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

V. ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID by Double Verification Mode के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

21/6/2021  

VI. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरांत अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VII. अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII. अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID by Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि शुल्क के सफल भुगतान/समायोजन के उपरान्त अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियों का परीक्षण अवश्य कर लें, तत्पश्चायत ही अपने आवेदन-पत्र को अंतिम रूप में सबमिट करें।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.13- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

2/1/2025

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

- I. अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।
- II. अभ्यर्थी द्वारा **OTP (One Time Password)** के माध्यम से लॉगिन करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-
- पत्राचार का पता।
 - अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
 - आवेदन में अनिवार्य/अधिमान्य अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
 - वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/1/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/1/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 05-10-2026 तक ही किया जा सकता है। आवेदन में संशोधन हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे अतः आवेदन पत्र को संशोधित करते समय अभ्यर्थी समस्त अंकित प्रविष्टियों को भली-भांति जाँच करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को सबमिट करें तथा संशोधित आवेदन-पत्र का प्रिंट अवश्य प्राप्त कर ले। संशोधन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी दशा में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अध्याचनकर्ता विभाग की है।

21/10/24

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अध्याचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अध्याचन/अध्याचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	
1	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	लेवल-4, वेतनमान (न्यूनतम): 25500, वेतनमान (अधिकतम): 81100 ग्रेड वेतन- 2400/-	05	03	00	02	01	11	अस्थायी
2	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर	लेवल-2, वेतनमान (न्यूनतम): 19900, वेतनमान (अधिकतम): 63200 ग्रेड वेतन- 1900/-	01	00	00	00	00	01	अस्थायी

२/१२/२०२५

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण										
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)		
1	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	00	--	--	--	--	--	00	02
2	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर	00	--	--	--	--	--	00	00

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान -

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

राजवंत कुमार ३

- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter- DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 तथा कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

21/10/21

9

6 - अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
1	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं होनी आवश्यक है:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा/एन0आई0ई0एल0आई0टी0 से 'ओ' लेवल प्रमाण-पत्र। (स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है(संलग्नक-1)। कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- (एक) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं होनी आवश्यक है:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा/एन0आई0ई0एल0आई0टी0 से 'ओ' लेवल प्रमाण-पत्र। (स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है(संलग्नक-1)। कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- (एक) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाये 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

21 जून 2023

2

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
2	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर	उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाये 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 यथासंशोधित के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

9-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-20-परीक्षा/2026, महाधिवक्ता कार्यालय (कम्प्यूटर संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/20 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या- 42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

10-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

10.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

10.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

10.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

रजिस्ट्रार

- 10.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 29-09-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 10.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 10.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 10.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 10.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्नगत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 10.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 10.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 10.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 10.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

21.08.2024

9

- 10.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 10.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 28-09-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 10.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 10.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 10.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 10.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 10.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 10.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 10.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 10.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 10.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 10.26- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।
- 10.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 10.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 10.29- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला कोई भी पत्राचार/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

21 जून 2024

3.9.26

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

संलग्नक-1

संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 19 जुलाई, 2023

विषय:- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020(रिट-ए) श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ओदश दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किये गये हैं:-

"जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त ही चयन हेतु अध्याचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें।"

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अध्याचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है।

3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

(1)- ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

- (1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों स्नातक के रूप में मान्य होगी।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।
- (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ०प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग/ अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

4- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट-1

प्राकृष-11

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका पारवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छेदित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-नाम संख्या-3/ 2019/ A. V. 2002/ वृ-21, 19वीं सी.अ. दिनांक 14 मार्च, 2019 का संतुलक

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना.....

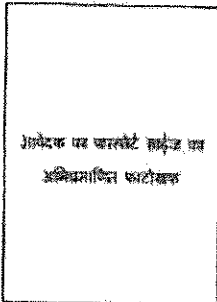
तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलद्वारा।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-जाय संख्या-3/2019/4/1/2002/क-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
 ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
 थाना ब्लाक तहसील
 जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
 प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
 अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
 रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
 परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कुई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
 रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात
 निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग मज अथवा इससे अधिक का आवासीय
 भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग मज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
 और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्राचार करता/करती हूँ। यदि
 मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
 आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा वैधानिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवओं एवं
 पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
 अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
 के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----नियासी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विविक्त अथवा अविविक्त) उपर्युक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) --के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-1

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
- (ii) If yes, details:
- (a) Authority to whom and district in which applied _____
(b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of higher legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).

- (a) ration card,
- (b) voter identity card,
- (c) driving license,
- (d) bank passbook,
- (e) PAN card,
- (f) passport,
- (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
- (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____,
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board, with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board, with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of _____ Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____

_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures : - percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri

_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____

_____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

_____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the

guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued